# HRA AN USIUS The Gazette of India

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2009/भाद्र 6, 1931

No. 4821

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2009/BHADRA 6, 1931

# कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 613(अ).—कंन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, धारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शतें) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारत का ग्रंतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2003 के नियम 7, नियम 8 और नियम 9 में, ''अध्यक्ष की दशा में केन्द्रीय सरकार में सर्वोच्च श्रेणी (अस्सी हजार रुपए नियत) और सदस्यों की दशा में वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपए) में बारह हजार रुपए का ग्रेड वेतन वाले,'' जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

''जैसा भारत सरकार के सचिव के लिए विहित है''।

[फा. सं. 5/5/2003-आईजीसी/सीएस]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: — मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 784(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2003 को प्रकाशित किए गए थे और इसमें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 136(अ) तारीख 27 फरवरी, 2009 द्वारा संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

# NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2009

G.S.R. 613(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (1) of Section 14 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Second Amendment Rules, 2009.
- (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, in rules 7, 8 and 9, for the words "as applicable to officers of the Central Government in Apex Grade (rupees eighty thousand-fixed) in the case of Chairperson and Grade Pay of rupees twelve

thousand in the Pay Band 4 (Rupees 37400-67000) in the case of Members," wherever they occur, the following shall be substituted, namely:—

"as are prescribed for the Secretary to the Government of India".

[F. No. 5/5/2003-IGC/CS] AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide G.S.R. 784(E), dated 6th October, 2003 and were amended vide G.S.R. 136(E), dated 27th February, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i).